FIVE RUPEES Rs. 5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग-3356 I 16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

अर्जुन सिंह पुत्र भवानी सिंह आयु 58 साल निवास ग्राम फतेहपुर, तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र. --निगरानीकर्ता

दिनांक 28.9.16 को श्री आर० बी० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत। 28.9.16

93 28.9.16 SO

बनाम

1- भगत सिंह पुत्र प्राण सिंह निवासी छत्रीनाका सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

2- जसवन्त सिंह पुत्र भवानी सिंह, निवासी बेहलोट वायपास कुमुद पैलेस के पीछे, गंज बासौदा जिला विदिशा मप्र

R.B. आरबी. शर्मा 28-9-16

3- श्रीमती रामकली पत्नी प्राणसिंह निवासी सिरोंज म प्र

4- श्रीमती रम्भा पत्नी केसरी पुत्री भवानी निवासी-ग्राम कोलीजा जिला विदिशा म.प्र

5- श्रीमती कुसुम बाई पत्नी नकल सिंह पुत्री भवानी सिंह निवासी-ग्राम ग्रोद, जिला विदिशा

6- शिवम पुत्र जसवन्त सिंह, निवासी बेहलोट वायपास कुमुद पैलेस के पीछे गंज बासौदा मप्र

7- गजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासीग्राम फतेहपुर तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

R.B. -- रेस्पोंडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 17·8·2016 न्यायालय अनुविभागीय

अधिकारी राजस्व, बांसौदा जिलाविदिशा के प्रकरण क्रमांक

26/15-16 / अपील व उन्वान अर्जुन सिंह बनाम भगत सिंह आदि

मे पारित आदेश से व्यथित होकर ।

==

माननीय न्यायालय

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है:-

संक्षिप्त तथ्य:-

1- यह कि, अपीलार्थी के खाते की भूमि स्थित ग्राम भाटनी मे खसरा 371/2 , 374 , 375 , 376 , 381 , 383 , 413/1 409 ,कुल किता 8 कुल रकबा 12·688 हेक्टेयर का खाता है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। जसवन्त सिंह रेस्पोंडेन्ट बच्चो को पढाने के लिये शहर मे रहते है कागजी कार्यवाही जसवन्त के पास थी। उक्त विभाजन मे अपीलार्थी के हस्ताक्षर करोय पत्रअभिभावक को कोईभी भी भूमि विभाजन मे नही दी है तथा अपीलार्थी का पंजी मे से रकबा ही कम कर दिया गया है विभाजन की प्रक्रिया दोषपूर्ण प्रक्रिया से कराकर अपीलार्थी का रकबा कम कर दिया गया है विभाजन पंजी पर नही किया जा सकता है इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई ।

2- यह कि विचारण के दौरान अपीलार्थी द्वारा आवेदन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्व भवानी सिंह की मृत्यु होने पर भवानी

R. Bcy

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3356-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री अनुपम मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	